न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 07/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1– मूला पिता नाराण बलाई निवासी मिण्डोलिया
2– हरवू बेवा भुवाना बलाई निवासी मिण्डोलिया
3–6 नन्दा, रामेश्वर, मीठू, गोपाल पिता भुवाना मिण्डोलिया
7 लादू लाल पिता माना बलाई निवासी मिण्डोलिया

– प्रार्थीगण

बनाम

1–4 उदा, राम लाल, राधा, डाली पिता माधू बलाई निवासी मिण्डोलिया
5–9 भेरू, सेतान, श्रीमति दूदी, श्रीमति सेना, कोमल पिता प्रभुलाल बलाई निवासी मिण्डोलिया
10– श्रीमति चांदू पत्नी प्रभू लाल बलाई निवासी मिण्डोलिया
11–13 श्रीमति राधा, गीता, मनभरी पिता खाना बलाई निवासी मिण्डोलिया
14– श्रीमति मदनी पिता भुवाना बलाई निवासी मिण्डोलिया
15–16 श्रीमति सोहनी, श्रीमति भोली पिता माना बलाई निवासी मिण्डोलिया
17– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री कैलाश चन्द्र सुवालका**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाक– 12/01/21

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **मिण्डोलिया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 373 रकबा 0.02 है0**, 395 रकबा 0.03 है0 कुल **किता 2** रकबा **0.05 है0** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। [illegible] भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मिण्डोलिया** संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **मिण्डोलिया** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात किता 2 **रकबा 0.05 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 100/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.